न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/608

छोट्या आत्मज श्री गोप्या जी जाति माली निवासी ग्राम बालीता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. हेमराज आत्मज श्री धन्ना लाल जी जाति माली ।
2. पाना बाई पत्नी श्री धन्ना लाल जी जाति माली ।
3. बालू राम आत्मज श्री बजरंगा जी जाति माली ।
4. भूली बाई पुत्री श्री बजरंगा जाति माली निवासीगण ग्राम बालीता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से

निर्णय दिनांकः 16.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा में खतौनी संख्या नया 289 पुराना 283 एवं 90 की खसरा नम्बर 963/364 की रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 965/365 की रकबा 0.05 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 967/366 की रकबा 0.04 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे एवं स्वामित्व तथा खाते की भूमि है । प्रार्थीगण का अन्य खसरा नम्बरान के साथ उक्त आराजी पर भी कब्जा काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थी क्रम 01 ताकत के बल पर प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहता है । अप्रार्थी क्रम 01 ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जिस पर प्रार्थीगण ने सम्बन्धित पटवारी से अपनी भूमियों की पैमाईश करवायी ।

अप्रार्थीगण ताकत के बल पर पुनः प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि अप्रार्थी क्रम 01 प्रार्थीगण के कब्जे एवं स्वामित्व तथा खाते की आराजी पर ताकत के बल पर कब्जा न करे तथा प्रार्थीगण को उक्त आराजी में कृषि करने से किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में काई दखलन्दाजी नहीं करें ।

4. अप्रार्थी क्रम 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ ने अपने निर्णय दिनांक 25.10.2017 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अप्रार्थी क्रम 01 को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी क्रम 01 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के पूर्व में शामलाती खाते में थी जिसका बंटवारा हो कर खसरा नम्बर 963/364 मध्य पूर्व, खसरा नम्बर 965/365 मध्य पूर्व, खसरा नम्बर 367/366 मध्य पूर्व रेस्पोडेन्ट के हिस्से में आयी तथा खसरा नम्बर 964/364 पूर्वी, खसरा नम्बर 966/365 पूर्वी व खसरा नम्बर 968/366 पूर्वी अपीलान्ट के हिस्से में आयी । दोनों पक्षों के मध्य डिमार्केशन हो रहा है । पक्षकारों के मध्य सीमांकन का विवाद है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के काउन्टर प्रार्थना पत्र एवं तर्को का विवेचन किये बिना प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट के काउन्टर प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि की है । पूर्व में आराजी शामलाती खाते में थी जिसका बंटवारा होकर दोनों पक्षों के मध्य डिमार्केशन हो रहा है । दोनों पक्षों के मध्य सीमांकन का विवाद है । पूर्व में भी मौके पर सीमांकन हो रहा है किन्तु रेस्पोडेन्ट बार–बार विवाद करते है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट ने भी अपनी खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में

काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के तर्कों का विवेचन किये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का काउन्टर प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण से खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2017 निरस्त फरमाया जावे और अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्टगण के द्वारा पेश किया गया था जिसका अपीलान्टगण के द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया है और यह कथन किया है कि अप्रार्थी के खातेदारी की खसरा नम्बर 964/364 की 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 966/365 की 0.09 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 968/366 की 0.09 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी अप्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें ।

10. पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 52 संलग्न है जिसके अनुसार अप्रार्थी अपीलान्ट के खाते में खसरा नम्बर 363 पाटी वाला रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 704 बगीची रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 711 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 964/364 पूर्वी रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 966/365 पूर्वी, खसरा नम्बर 968/366 पूर्वी रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 971/712 पूर्वी रकबा 0.11 हैक्टर कुल 08 किता की रकबा 1.76 हैक्टर आराजी दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 289 पुराना 283 के अनुसार प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के खाते में कुल 08 किता की 1.39 हैक्टर आराजी दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 963/364 रकबा 0.04 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 965/365 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 967/366 रकबा 0.04 हैक्टर आराजी भी शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज आराजी के बाबत् उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । अपीलान्टगण के द्वारा भी काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 364, 365 एवं 366 का बंटवारा किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 964/364, खसरा नम्बर 966/365 और 968/366 अपीलान्ट के खाते में दर्ज है और खसरा नम्बर 967/366, 965/365 एवं खसरा नम्बर 963/364 रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण के खाते में दर्ज की गई है ।

11. चूँकि अपीलान्ट ने अपने काउन्टर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार खसरा नम्बर 966/365, 968/366 और 964/364 के खातेदार कृषक हैं और उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने का प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को कानूनन अधिकार नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति इन खसरा नम्बर के बाबत् अप्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में तय पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने उनके काउन्टर प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि की है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में संशोधन कर निम्नानुसार संशोधित आदेश जारी किया जाता है कि :–

अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित आराजी नया खाता संख्या 289 पुराना खाता संख्या 283 की खसरा नम्बर 963/364 मध्यपूर्व रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 965/365 मध्यपूर्व रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 967/366 मध्यपूर्व रकबा 0.04 हैक्टर की आराजी पर अप्रार्थी अपीलान्ट प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें और अप्रार्थी अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी नया खाता संख्या 52 पुराना 90 की आराजी खसरा नम्बर 964/364 रकबा 0.09 हैक्टर पूर्वी, खसरा नम्बर 966/365 रकबा 0.09 हैक्टर पूर्वी, खसरा नम्बर 968/366 रकबा 0.09 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें ।

13. निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16.10.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा